कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर

Phone no./Fax no. 01370-260070
E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 446 / 33 सी
सेवा में,
दिनांक 5/3/

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षक इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय — जनपद टिहरी गढ़वाल में लोस्तु घण्ड़ियालधार हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 0.9 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।

संदर्भ — प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती का पत्रांक 881 / 12—1 दिनांक 21.10.2015

महोदय,

विषयवर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति वन एवं पर्यावरण अनुभाग—4 उत्तराखण्ड शासन के सं0 691 / X—4 / 15—1(395) 2015 दिनांक 06.08.2015 द्वारा प्राप्त है। प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर मुनिकी के उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में एवं सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो के अनुपालन में निम्न प्रकार अनुपा आख्या प्रेषित की जा रही है।

1. शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रस्तावित स्थल के आस—पास / मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानों वृक्षारोपण हेतु रू0 531468.00 की धनराशि चालान द्वारा ऑन लाईन जमा की गई है। (चालान की प्र संलग्न है)
2. शर्त सं0 2 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 836550.00 की धनराशि चालान द्वारा अं लाईन जमा की गई है। (चालान की प्रति संलग्न है)
3. शर्त सं0 3 के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी यह वचन वद्धता प्रस्तुत करते हैं कि यदि एन0पी0वी0 की दरों बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि विभाग द्वारा जमा की जायेगी।
4. शर्त सं0 4 के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रभागीय वनाधिकारी के उक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा दिये ग ड़िमांड़ नोट के आधार पर वांछित धनराशि ऑन लाईन कर कारपोरेशन, देहरादून में जमा की गई है। (चाला की प्रति संलग्न है)
5. शर्त सं0 5 के अनुपालन में आख्या उपरोक्तानुसार बिन्दु 4 के अनुसार।
6. शर्त सं0 6 के अनुपालन में प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यवल की संस्तुतियों एवं भू—वैज्ञानिकों के सुझावों का कड़ाई से पालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)
7. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख / प्रमाण पत्र पूर्व ही प्रस्ताव के साथ ऑन लईन कर दिये गये थे सूचना संदर्भ हेतु प्रमाण पत्र संलग्न है।
8. उपरोक्तानुसार निर्धारित सभी शर्तो का अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मार्ग की विधिवत स्वीकृति हेतु प्रकरण भारत सरकार को अपनी संस्तुति सहित प्रेषित करने की कृपा करें।

प्राप्ति/क्रिया
2016
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय
वन विभाग, देहरादून।

संलग्न — चालान की प्रति।

5/3/2016
(इं0 बी0पी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर

पत्रांक /33 सी
दिनांक / /2016

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर मुनिकीरेती को उनके उक्त सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त पड़ने वाले वृक्षों छपान / कटान हेतु वन निगम को निर्देशित करने की कृपा करें जैसा किं पूर्व में भी आपसे इस कार्यालय के पत्रांक 2657 / 33सी0 दिनांक 30.10.2015 द्वारा अनुरोध किया गया है।

संलग्न — चालान की प्रति।

(इं0 बी0पी0 नौटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
अ0ख0,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु0— कीर्तिनगर

\\Atul-pc\pwd I 13 01.2014\Van Bhoomi bhoomi pratikar\Letter\apr pramukh ...

टोहरु आपराधिसराय - हिन्दू - टेहरी

AGENCY COPY

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank
A Premier Public Sector Bank

Challan for collection of Ad-hoc CAMPA fund

Date : 08-02-2016

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	ROAD110752015779
Address.	T.D.,P.W.D. SRINAGAR , H.Q.- KIRTINAGAR, TEHRI GAR Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	 eepwdkirtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rs)	1368018/- DD 662274
Beneficiary Branch and Code.	FCS Branch (0633)

Amount in Words:Thirteen Lakh Sixty-Eight Thousand and Eighteen Rupees Only

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar
26/02/16

Depositor Signature
(Signature)

75-Rajpur Road, Dehradun
Bank Official
(Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
- Challan should only be accepted against INST/DD.
- Enter the Remitter Name in Additional Information 1
- Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2

29/02/16

कार्पोरेशन बैंक
75-राजपुर रोड देहरादून
29 FEB 2016
CORPORATION BANK
75-Rajpur Road, DEHRADUN

Transaction Acknowledgement

Thank you. Your payment has been successfully deposited with the following details.
Please quote your transaction reference number for any queries relating to this request.

Proposal No	FP/UK/ROAD/11075/2015
Application No	ROAD110752015779
Proposal Name	Lostu Ghandiyal hoandu to ringoli motor road
Category	Road
Submission Date	30 Mar 2015
Area Applied	0.99
Transaction Status	Transaction Successful
Transaction Reference Number	43437
Transaction Date	02 Mar 2016
Payment Amount(in Rs.)	1368018/-
Bank	Corporation Bank
Payment Mode	Corporation Bank (Challan)

Funds Demand Details		
Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Additional Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Penal Compensatory Afforestation	:	Rs. 0/-
Catchment Area Treatment	:	Rs. 0/-
Safety Zone	:	Rs. 0/-
Additional Charges for protected area	:	Rs. 0/-
Net Present Value	:	Rs. 836550/-
Afforestation in barren land on both side of road/	:	Rs. 531468/-
Total Amount	:	Rs. 1368018/-

प्रारुप–51

परियोजना विवरण :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु–घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी0)

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

JE

AE
सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

प्रारुप–34

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु–घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी0)

भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/ संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

JE

AE

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

ह0/–
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

प्रारुप–35

परियोजना विवरण :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड कीर्तिनगर में लोस्तु–घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी0)

Task Force Certificate

(i) Lay out of the Land-be followed as far as possible.
(ii) Heavy cutting/filling be avoided-as far as possible. The technology of cut and fill method is to be adopted. Steep hill slopes also to be avoided.
(iii) Unstable/slide-prone areas to be avoided. For identifying such areas the advice of Geotechnical engineers and geologists to be taken during the survey for alignment.
(iv) Comparison of various possible alignments with reference to erosion potential be made and the alignment involving minimum erosion risks be preferred. Apart from the stage of planning the road alignment, effective steps are also required to be taken by ground engineer during the process of road construction for minimized ecological disturbance to the hill roads Broadly the measures to be taken have been identified as :-
(i) Cut and fill method to be adopted while excavating for road formation and heavy earth cutting is to be avoided Box cutting is to be avoided to the extent possible.
(ii) Blasting by explosives is to be restricted to the minimum. Lay out of holes to be drilled for blasting is to be planned keeping in view the line of least resistance and the existence of joints Controlled blasting should be repeated using low charge and care be taken to avoid activating slide zones or widening fissures and cracks in road. Use of delay detonators in large scale basting work is to be made for anaoline dispersion of chock waves, so that minimum disturbance is caused to the rock stratum as a result of the blasting process.
(iii) All cut slopes, unusable hill side and slide prone erosion prone areas are to be provided with suitable correction measures by using one or the other of the techniques developed by CRRI. Several techniques have been sponsored by CRRI. like simple vegetative turning, bitumen muck treatment and slide treatment by jute netting coir netting of these simple vegetative turning seems to be the most appropriate preventive measure in many situations. This should be established in the denuded slopes immediately after the excavation is made.
(iv) Adequate drainage measures and protective structures like intercepting catch water drains, longitudinal drains/culverts, breast walls, retaining walls are to be provided for purpose of establishing the slips Growth vegetative cover is to be stimulated in the disturbed hill slops above the road level by planting suitable fast growing shrubs and plants. In
(v) Over the past few years the roads wing of the Ministry of Shipping and transport has issued instruction laying down broad guidelines and check list of the preparation of road construction projects which provide an inbuilt mechanism of tackling land slides/erosion control for the guidance and follow up action by engineers of state 'PWD' Border Roads Organization and others engaged in construction of hill roads. these should be observed.

प्रमाणित किया जाता है कि योजना आयोग द्वारा गठित टास्क फोर्स द्वारा प्रदत्त उक्त संस्तुतियाँ का परियोजना के निर्माण के दौरान अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा हैं।

JE

सहायक अभियन्ता
अ0 ख0, लो0 नि0 वि0 श्रीनगर
मु0 कीर्तिनगर

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

प्रारुप-36

परियोजना विवरण :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड़ कीर्तिनगर में लोस्तु-घण्डियाल से होन्दू रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण (1.650 कि0मी0)

मानक शर्तो का मान्य होने का प्रमाण-पत्र

मानक शर्ते

1 वन भूमि हस्तान्तरण के बाद भी उसकी वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा और वह पूर्व की भाँति रक्षित या आरक्षित वन भूमि बनी रहेगी।

2 प्रश्नगत भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा व अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा।

3 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा।

4 वन भूमि का संयुक्त निरीक्षण करके सुनिश्चित कर लिया गया है कि आवेदित भूमि न्यूनतम है तथा इसके अतिरिक्त कोई अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है।

5 प्रयोक्ता एजेन्सी, उसके कर्मचारी, अधिकारी अथवा ठेकेदार वन भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायेंगे और ऐसा किये जाने पर सम्बन्धित वनाधिकारी द्वारा निर्धारित प्रतिकर का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।

6 परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित भूमि का सीमांकन प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय से सम्बन्धित वनाधिकारी की देख-रेख में किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में बनाये गये मुनारों का रख-रखाव किया जायेगा।

7 हस्तान्तरित वन भूमि पर वन विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों को निरीक्षण हेतु जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

8 बहुमूल्य वन सम्पदा से आच्दादित एवं वन जन्तुओं से भरपूर वन क्षेत्रों का हस्तान्तरण यथासम्भव प्रस्तावित न किया जाय। केवल अपरिहार्य करणों से ही ऐसा किया जाना सम्भव होगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि वन सम्पदा की क्षतिपूर्ति एवं वन्य जन्तुओं के स्वछन्द विचरण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ही भूमि हस्तान्तरित की जायेगी।

9 सिंचाई विभाग/जल निगम द्वारा वन विभाग की नर्सरीयों को एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निःशुल्क जल की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

10 प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित वन भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु करने अथवा अन्य विभाग संस्था या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित करने पर वन भूमि स्वतः किसी प्रतिकर के भुगतान किये बिना वन विभाग को वापस हो जायेगी। वन भूमि की आवश्यकता प्रयोक्ता एजेन्सी न होने पर हस्तान्तरित भूमि तथा उस पर निर्मित भवन आदि स्वतः बिना किसी प्रतिकर भुगतान के वन विभाग को प्राप्त हो जायेगी।

11 सड़क निर्माण के प्रस्तावों पर संरेखण तय करते समय स्थानीय स्तर पर वन विभाग का परामर्श लो0नि0वि0 द्वारा प्राप्त किया जायेगा तथा इस सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 को सम्बोधित पत्र संख्या 608 सी0 दिनांक 10-2-82 मे निहित आदेशों का पालन भी लो0नि0वि0 द्वारा किया जायेगा। वन भूमि पर अश्वमार्ग बनाना अथवा

वन मार्गों का सुदृढ़ीकरण/चौड़ीकरण कार्य करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी अनिवार्य है।

12 प्रयोक्ता एजेन्सी के द्वारा वन भूमि का मूल्य सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा वर्तमान बाजार दर के अनुसार राज्य सरकार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

13 वन भूमि पर खड़े वृक्षों का निस्तारण वन विभाग, उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा किया जायेगा।

14 हस्तान्तरित भूमि पर पड़ने वाले वृक्षों के प्रतिकार में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा हस्तान्तरित भूमि के समतुल्य वृक्षारोपण का भुगतान अथवा समतुल्य गैर वानिकी भूमि उपलब्ध न होने पर प्रस्तावित भूमि के दुगने गैर वानिकी क्षेत्रफल में वृक्षारोपण तथा 3 वर्ष तक परिपोषण व्यय जो भी वन विभाग द्वारा तय किया जाय का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग किया जायेगा। 1000 मीटर एवं 30 डिग्री से अधिक ढाल पर खड़े वृक्षों का पातन भी निषिद्ध है, इसी प्रकार बांज के पेड़ों पर पातन भी वर्जित है। ऐसे वृक्षों के पातन का निरीक्षण सम्बन्धित वन संरक्षक स्तर पर ही होगा।

15 वन भूमि पर प्रस्तावित विद्युत पारेषण लाईन के कोरिडोर के नीचे यथासम्भव पेड़ों का पातन नहीं किया जायेगा व पारेषण लाईन के खम्भों को ऊँचा कर अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को बचाया जायेगा। यदि फिर भी पेड़ों का पातन अनिवार्य प्रतीत होता है तो न्यूनतम पेड़ों की संख्या संयुक्त स्थल निरीक्षण करके सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा निश्चित की जायेगी।

16 यदि नहर आदि निर्माण में भू-संरक्षण की सम्भावना होती है और नहर की दोनों पट्टीयों को पक्का करना आवश्यक समझा जाता है, तो प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त कार्य को स्वयं के व्यय से करायेगा।

17 उपरोक्त मानक शर्तो के अतिरिक्त यदि भारत सरकार अथवा वन विभाग द्वारा किसी विशिष्ट प्रकरण में कोई अन्य शर्ते लगाई जाती हैं, तो प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उसका पालन किया जाना अनिवार्य होगा।

18 वन भूमि का वास्तविक हस्तान्तरण तभी किया जाय, जब उक्त शर्तों का पूरा अनुपालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया गया हो अथवा सक्षम स्तर से आश्वासन प्राप्त हो जाय।

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग उत्तराखण्ड शासन तथा भारत सरकार द्वारा लगाई गई शर्ते प्रयोक्ता एजेन्सी को मान्य है।

JE

AE
सहायक अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirtinagar

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Shri Yugal Kishor Pant I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in **Kirtinagar** Block area measuring **0.99** Hectare for the construction of **Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road** in Tehsil **Devprayag** of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of **Kirtinagar** Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

District Collector Cum chairman

Place :- Tehri
Dt. 12/3/15

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
District Tehri Garhwal
New Tehri

FORM – I

(For linear Projects)

Government of **Uttarakhand**

Office of the District Collector **Tehri Garhwal**

Dated ...12/03/15..

No.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having intiated and completed the process of settelement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEFs letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.99 hact.** of forest land proposed to be deverted in favour of **Public Works Department , Kirtiangar** for **Construction of Lostu-Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road** in **Tehri Garhwal** District falls within jurisdiction of **Hondu** Villages in **Devprayag** tehsils.

It is further certified that:

a) the complete process for indetification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire **0.99 hact.** of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure **23** to annexure **23.2**

b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.

c) the proposal does not invole recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above

Signature

(युगल किशोर पन्त)

(Yugal Kishore Pant)

जिलाधिकारी

Distt. Colector

टिहरी गढ़वाल

It is further certified that – Minutes of meeting of Lostu Ghandiyal-Hondu to Ringoli Motor Road (1.650 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.99** hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram Sabha(s), Sub- Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.

राजेश्वरी गैरोला

जिला पंचायत सदस्य

टिहरी गढ़वाल

सदस्य
जिला पंचायत
जिला योजना समिति चिलेड़ी
बडियारगढ़ (टि0 ग0)

R Bhagwat

जिला समाज कल्याण अधिकारी

टिहरी गढ़वाल

प्रभागीय वनाधिकारी

नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

मुनि की रेती(टिहरी गढ़वाल)

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती

Signature

(Yugal Kishor Pant)

(युगल किशोर पन्त)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Dt. 12/03/15

प्रारूप –1.90,

भू–अर्जन प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– रिंगोली मल्ली

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः — 288 / लो0नि0–2 / 04–15(प्रा0आ0) / 2004 दिनॉक 27 फरवरी 2004

जनपद टिहरी गढवाल में विकासखण्ड़–कीर्तिनगर के अन्तर्गत राज्य योजना से लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.99 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल–0.99 है0) का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग–श्रीनगर,मुख्यालय–कीर्तिनगर प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि 0.495 है0 ग्राम पंचायत–रिंगोली तल्ली के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बंधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह0 / – ....

जिलाधिकारी

टिहरी गढवाल

प्रारूप –1.90,

भू–अर्जन प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम– रिंगोली मल्ली

तहसील देवप्रयाग, जिला टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विकासखण्ड़ कीर्तिनगर में लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु पडने वाली वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

स्वीकृति संदर्भः — 288 / लो0नि0–2 / 04–15(प्रा0आ0) / 2004 दिनॉक 27 फरवरी 2004

जनपद टिहरी गढवाल में विकासखण्ड़–कीर्तिनगर के अन्तर्गत राज्य योजना से लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु उपरोक्त शासनादेश द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई है।

प्रखण्ड़ टिहरी गढवाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत राज्य योजना के अन्तर्गत लोस्तु–घण्डियाल–हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग के नव निर्माण के लिए 0.000 है0 आरक्षित वन भूमि, 0.99 है0 सिविल सोयम वन भूमि, 0.000 है0 वन पंचायत भूमि, (अर्थात् कुल–0.99 है0) का अस्थाई खण्ड़ लोक निर्माण विभाग–श्रीनगर,मुख्यालय–कीर्तिनगर प्रयोक्ता ऐजन्सी के पक्ष में भारत सरकार,पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। तथा बाकि नाप भूमि 0.495 है0 ग्राम पंचायत–रिंगोली तल्ली के काश्तकारों से देना प्रस्तावित है।

प्रमाणित किया जाता है। कि प्रस्तावित नाप भूमि को सम्बधित काश्तकारों से नियमानुसार सहमति से अथवा अर्जित कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध करा दी जायेगी एवं प्रश्नगत मोटर मार्ग निर्माण बाधित नहीं होगा।

ह0 / – ....

जिलाधिकारी

टिहरी गढवाल

प्रपत्र–23.2

परियोजना का नामः– लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग,

कार्यालय उप जिलाधिकारी, **कीर्तिनगर**
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण–पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिगोली मोटर मार्ग, (— हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.99 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि — हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 0.99 हे0 वन भूमि) का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग की दिनांक 27/1/2015 .... को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2– श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3– श्री रणजीत सिंह बर्त्वाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4– श्री कमला देवी कन्धारी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **मोटर मार्ग के** लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिगोली **मोटर मार्ग** परियोजना हेतु 0.99 हे0 वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, वन प्रभाग नरेन्द्रनगर द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पश्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **कीर्तिनगर** परिक्षेत्र के अन्तर्गत- हॉन्द से रिगोली **मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण **हेतु 0.99 है0 वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–देवप्रयाग
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम- लोस्तु - घण्डियाल - हॉन्दू से रिगोली मोटर मार्ग,

दिनांक ~~27/1/2015~~ 24/01/2015 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

जनपद- टिहरी गढ़वाल

1	श्री दीपेन्द्र सिंह नेगी	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्री प्रदीप कुमार	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	उप प्रभागीय वनाधिकारी देवप्रयाग उप वन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग मुनिकीरेती
3	श्री रणजीत सिंह कठैत	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	
4	श्रीमती कमला देवी	बी0डी0सी0 क्षेत्र	सदस्य	कमला देवी श्रीमती कमला देवी क्षेत्र पंचायत सदस्य रिगोली मल्ली व रिगोली तल्ली

प्रपत्र–23

परियोजना का नामः– लोस्तु-घण्डियाल-हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग,

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - रिंगोली तल्ली
तहसील- देवप्रयाग जिला - टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद **टिहरी गढ़वाल** के अन्तर्गत विकास खण्ड ~~देवप्रयाग~~ कीर्तिनगर में हौन्दू से रिंगोली मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु (— हे0 आरक्षित वन भूमि, — हे0 सिविल सोयम भूमि हे0 वन पंचायत भूमि) अर्थात कुल 0.99 हे0 वन भूमि का **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रिंगोली तल्ली द्वारा दिनांक 21.1.2015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं है। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम हौन्दू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि **लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– [signature]
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत रिंगोली तल्ली
ग्राम सचिव

ह0/–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रिंगोली तल्ली
ह० [signature]
दि० 21/1/2015
वि०ख० कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)

नोट :– यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तद्नुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र–23.1

दिनांक 21/11/2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	सोवन सिंह कैन्तुरा	सोबन
2	राजेन्द्र सिंह कैन्तुरा	राजेन्द्र
3	हर्ष सिंह	हर्ष सिंह
4	जय सिंह	जय सिंह
5	पुष्कर सिंह	पुष्कर सिंह
6	रघुवीर सिंह	[illegible]
7.	सुरेन्द्र सिंह	सुरेन्द्र
8.	रूप देई	
9.	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
10.	कर्ण सिंह	[illegible]
11.	जननी देवी	
12.	कमला देवी	
13.	आनन्द सिंह	[illegible]

ह० /–
ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत रिगोली [illegible]
ह० [illegible] देवी
दि० 21/11/2015
वि० खं० कीर्तिनगर (टिहरी गढ़वाल)